Asangba Chuba Ao, I.A.S.
State Project Director

शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक: VE/728/2018-19/Part-III/ 7404 दिनांक: 01/12/2022

सेवा में,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
पटना, बिहार।

विषय:– व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में Electronic & H/W, Beauty & Wellness, Telecom & IT/ITeS ट्रेड को परीक्षा में शामिल करने के संबंध में।

प्रसंग:– पत्रांक–BSEB/SS/ACD/DS-211 दिनांक–01.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से 43 अनुकरणीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 43 स्वीकृत अनुकरणीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में परीक्षा में शामिल किया जाना है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शिका के आलोक में व्यावसायिक शिक्षा संचालन के लिए पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, (PSSCIVE) के द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम से किया जायेगा। स्वीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दो ट्रेडो का चयन किया गया है, जिसके प्रत्येक ट्रेड में 25–25 छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जाना है। सैद्धांतिक परीक्षा की अवधी 3 घंटे की होगी।

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

Process of Assessment and Certification for selected Trade.

Sl.no	Method of Assessment	Weightage (Max Marks)	Evaluator
1	Written Test	30-Minimum Qualifying Marks 10.	Examiner
2	Practical Test	50 -Minimum Qualifying Marks 17.	Assessor from Sector Skill council
3	CCE	20 This will be included only if the student qualified individualy in theory practical.	Vocational Subject Teacher
4	Total	100	

अतएव अनुरोध है कि व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु 9वीं एवं 10वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय को परीक्षा में शामिल करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

(असंगबा चुबा ओओ)
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

E:\Office Letter\2022\V E 101

पत्रांक : 09/व्या0शि0–22/2011......258
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

मनोज कुमार (भा0प्र0से0)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, (मा0 शि0)।

सेवा में,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 04/05/2022

विषय : व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं ऑटो मोबाईल ट्रेड को शामिल करने के संबंध में।

प्रसंग : समिति का पत्रांक–BSEB/SS/ACD/DS-89 दिनांक 02.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय सहमति निम्नवत् दी जाती है :–

1. प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 (i) पर इस शर्त के साथ विभागीय सहमति दी जाती है कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा में विद्यार्थी को शामिल होना अनिवार्य होगा।
2. प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 (ii) यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/व्या0शि0–22/2011......258
पटना, दिनांक 04/05/2022

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्याल परीक्षा समिति, पटना/परीक्षा नियंत्रक (उच्च मा0), बिहार विद्याल परीक्षा समिति, पटना/माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

04 MAY 2022

586/SC/2022
05/05/2022

1394/DA
5/5/22

O:Sec:/09:727

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना।

Email -directoracademic.bsebpatna@gmail.com

पत्रांक—BSEB/SS/ACD/DS- 89 दिनांक— 02/04/22

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक— 02/04/22

विषय—व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में सुरक्षा, ब्यूटीशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं ऑटो मोबाईल ट्रेड को शामिल करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक— 26.03.2022 को आयोजित समिति की बैठक के विषय संख्या—26 में अंकित व्यावसायिक शिक्षा (सुरक्षा, ब्यूटीशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं ऑटो मोबाईल ट्रेड) शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित विधालयों/+2 विधालयों के अन्तर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में शैक्षणिक सत्र 2022—24 से शामिल करने एवं तदालोक में परीक्षा हेतु वांछित प्रस्ताव पर विचार किया गया।

2. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0— 09/व्या0शि0—22/2011/ 584, दिनांक— 21.07.2017 के द्वारा राज्य के 38 जिलों में प्रत्येक जिला के एक चिन्हित विद्यालयों के नाम के सामने अंकित दो ट्रेडों का अध्यापन कार्य किया जाना है। इन विद्यालयों के लिए कर्णांकित दो ट्रेड में से कोई एक का चयन 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र/छात्राओं के द्वारा ऐच्छिक विषय के रूप में किया जायेगा।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0— 09/व्या0शि0—22/2011/ 767, दिनांक— 14.11.2019 के द्वारा राज्य के 38 जिलों में प्रत्येक जिला के एक चिन्हित +2 विद्यालयों के नाम के सामने अंकित दो ट्रेडों का अध्यापन कार्य किया जाना है। इन चिन्हित +2 विद्यालयों के सभी संकाय (विज्ञान कला एवं वाणिज्य) के छात्र कर्णांकित दो ट्रेडों में से कोई एक का चयन 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र/छात्राओं के द्वारा अनिवार्य विषय के रूप में किया जायेगा।

3. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित उक्त अध्यापन कार्य को समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022—24 से लागू करने का निर्णय लिया गया है, तदालोक में होने वाली परीक्षा का आयोजन मैट्रिक एवं इण्टर हेतु निम्न रूपेण किया जायेगा—

(i) माध्यमिकः— चयनित विद्यालय (कुल 38) में जिन छात्र/ छात्राओं (IX 25+X 25 =50 कुल विद्यालय में पढ़ाए जा रहे दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन करेगें, उन छात्र/छात्राओं ऐच्छिक विषय की परीक्षा में शामिल होना बाध्यकारी होगा एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। साथ ही इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण में नहीं की जायेगी। विद्याल अन्य छात्र/छात्राओं हेतु Marking Pattern पूर्ववत रहेगा। अंको का निर्धारण इस प्र होगा–

(1)अनिवार्य	कुल अंक	अभियुक्ति
1.मातृभाषा	100	
2. द्वितीय भाषा	100	
3. गणित	100	
4. विज्ञानं	100	
5. सामाजिक विज्ञान	100	
	कुल 500	
(ii)अंग्रेजी सामान्य	100	शामिल होना अनिवार्य , पास होना नहीं, कुल अंक में गणना नहीं
(iii) a. ऐच्छिक (कुल 11 विषय में एक का चयन) b. 5 ऐच्छिक व्यावसायिक ट्रेड (चयनित विद्यालय में छात्र/ छात्रा द्वारा दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन)	100 सैधांतिक 30+50 प्रायोगिक+20 CCE	a. शामिल होना अनिवार्य नहीं न ही कुल अंक में गणना भी नहीं b. चयनित विद्यालय (कुल 38) में जिन छात्र/ छात्राओं(IX 25+X 25 =50 कुल सीट) द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जा रहे दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन करेगें, उन छात्र/छात्राओं को उक्त ऐच्छिक विषय की परीक्षा में शामिल होना बाध्यकारी होगा एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण में नहीं की जायेगी। विद्यालय के अन्य छात्र/छात्राओं हेतु पैटर्न पूर्ववत रहेगा।

Process of Assessment and certification for selected trade

Sl. no.	Method of Assessment	Weightage (Max Marks)	Evaluator
1.	Written Test	30-Minimum qualifiying marks 10	Examiner
2.	Pratical Test & Oral Test/Viva	50-Minimum qualifiying marks 17	Assessor from Sector Skills Council
3.	CCE	20- This will be included only if the sutdent qualifies, individually in Theory & Pratical	Vocational subject Teacher
	Total	100	

(ii). उ गया है कक्षा व्याव चय में

(ii). उच्चतर इन्टरमीडिएटः— जिन +2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेडों का समावेशन किया गया है उसके इन्टरमीडिएट के सभी संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) के कक्षा 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अधिकतम (XI 25+XII 25 =50 कुल सीट) छात्र/छात्राओं के द्वारा विद्यालय के लिए कर्णांकित व्यावसायिक दो ट्रेडों में से कोई एक ट्रेड का चयन अनिवार्य रूप में किया जायेगा। अनिवार्य रूप में चयन किये गये ट्रेड की परीक्षा में छात्र/छात्राओं को उत्तीर्ण होना बाध्यकारी है परंतु श्रेणी निर्धारण में अंक नहीं जोड़ा जयेगा। व्यावसायिक विषय/ट्रेड का अंक निर्धारण निम्नवत रहेगा—

कला/विज्ञान/वाणिज्य/	कुल अंक	अभियुक्ति
5 अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेड (चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय(+2) में छात्र/ छात्रा द्वारा दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन	100 सैधांतिक 30+50 प्रायोगिक+20 CCE)	चयनित विद्यालय (कुल 38) में जिन छात्र/ छात्राओं (XI 25+XII 25 =50 कुल सीट) द्वारा विद्यालय के समक्ष दो कर्णांकित ट्रेड में से एक ट्रेड जो चयन करेंगे उनके लिए शामिल एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ;लेकिन श्रेणी निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी, तथापि अंकपत्र पर प्राप्तांक अंकित रहेगा विद्यालय के अन्य छात्र/छात्राओं हेतु पैटर्न पूर्ववत रहेगा।

Process of Assessment and certification for selected trade

Sl. no.	Method of Assessment	Weightage (Max Marks)	Evaluator
1.	Written Test	30-Minimum qualifiying marks 10	Examiner
2.	Pratical Test & Oral Test/Viva	50-Minimum qualifiying marks 17	Assessor from Sector Skills Council
3.	CCE	20- This will be included only if the sutdent qualifies, individually in Theory & Pratical	Vocational subject Teacher
	Total	100	

कंडिका 3(i) & (ii) पर वर्णित उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड की सहमति प्राप्त है।

4. उक्त ट्रेडों में छात्र/छात्राओं का कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नामांकन O.F.S.S. के माध्यम से करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

कंडिका 3(i) & (ii) समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन प्रार्थित है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।